

**साहेबगंज समाहरणालय**  
**जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज**  
**अधिघोषणा**  
**(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)**

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 24 / 15-16 / 312 / भू0अ0, दिनांक- 20.5.17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पतना-हिरणपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु, मौजा-छोटा दुर्गापुर थाना-रांगा, थाना सं0-16, अंचल-पतना, जिला-साहेबगंज में कुल-1.9024 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.9024 एकड़ यानि .....X..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	43	551	रैयती	धानी-2	0.0360	सुधीर टुडू, पेसरान लेलता टुडू, वगैरह पेसरान सोनोत टुडू	मोहब्बतपुर-15	बड़ा दुर्गापुर-17	562, 570, 571, 572, 575, 576, 577, 592, 600, 601, 602, 599, 598, 597, 595	552, 551, 553, 554, 558, 560, 474, 473, 469, 458, 457, 441, 440, 435, 427, 426, 425, 424, 423, 470
02	43	553	रैयती	धानी-2	0.0600	तथैव				
03	17	554P	रैयती	धानी-2	0.0370	हुडीज टुडू, बाजेष्पर टुडू, वगैरह पे0-नुनकू टुडू				
04	26	558	रैयती	धानी-1	0.0412	रघु सोरेन वगैरह पे0-छक्कु सोरेन वगैरह				
05	23	560	रैयती	धानी-2	0.0400	पियुस हॉसदा पेसरान फिलिप हॉसदा वगैरह				
06	21	474	रैयती	धानी-1	0.0832	बबलू हॉसदा पेसरान अलमा हॉसदा वगैरह				
07	13	473P	रैयती	धानी-1	0.0178	रंगिया सोरेन, पेसरान बढती सोरेन				
08	21	469P	रैयती	धानी-1	0.0480	लीलमुनी हॉसदा पेसरान जादू हॉसदा				
09	29	458P	रैयती	धानी-1	0.0420	पृथ्वी हॉसदा नारायण हॉसदा पेसरान मांझी हॉसदा वगैरह				
10	01	457P	रैयती	धानी-1	0.0632	कृथात हॉसदा पे0-प्रसीद हॉसदा वगैरह				
11	37	441P	रैयती	धानी-2	0.0275	अब्दुल अजीज पे0 नजरूल मियाँ				
12	51	440P	रैयती	धानी-2	0.1000	नजरूल शेख पे0 गेदा शेख				
13	20	438P	रैयती	धानी-1	0.0050	मनसूर मोमिन अनसूर मोमिन वगैरह पेसरान कुदुस मोमिन वगैरह				
14	39	427P	रैयती	धानी-1	0.0025	राम हेम्ब्रम, पेसरान बाबुलाल हेम्ब्रम वगैरह				
15	40	426P	रैयती	धानी-1	0.0150	साहेब मुर्मू गजली मुर्मू वगैरह पेसरान लखन मुर्मू				
16	51	425P	रैयती	धानी-1	0.0200	नजरूल शेख पे0 गेदा शेख				
17	40	424P	रैयती	धानी-2	0.0975	साहेब मुर्मू गजली मुर्मू				


						वगैरह पेसरान लखन मुर्मू				
18	25	423P	रैयती	धानी-2	0.0160	ओम प्रकाश राय विजय पेसरान हराधन राय वगैरह पेसरान उमेश राय वगैरह				
19	47	470P	रैयती	धानी-2	0.0440	दुखा राउत पेसरान वकील परिधि नन्दलाल वगैरह				
20	38	562P	रैयती	धानी-2	0.1755	बाबुधन मरांडी, दाथु मरांडी पेसरान सुफल मरांडी वगैरह				
21	32	570P	रैयती	धानी-1	0.0632	विशु किस्कू पेसरान बैजनाथ किस्कू नयन किस्कू वगैरह				
22	15	571P	रैयती	धानी-1	0.0292	बबलु हॉसदा पेसरान छोटु मुर्मू				
23	25	572P	रैयती	धानी-3	0.0123	ओम प्रकाश राय विजय पे0 हराधन राय वगैरह				
24	14	577	रैयती	धानी-2	0.0960	मरांग टुडू पे0-सालदा हेम्ब्रम,				
25	31	592P	रैयती	धानी-2	0.0705	छम्मी मुर्मू पे0 दोनाल मुर्मू				
26	47	600P	रैयती	धानी-1	0.2227	दुखा राउत वगैरह पेसरान वकील परिधेनन्दलाल वगैरह				
27	44	601P	रैयती	धानी-1	0.1099	दुखु हॉसदा पेसरान भुजु हॉसदा वगैरह				
28	29	602P	रैयती	धानी-1	0.0630	पृथ्वी हॉसदा नारायण हॉसदा पे0 मांडी हॉसदा वगैरह				
29	01	599P	रैयती	धानी-2	0.0775	सुशील हेम्ब्रम, पे0 प्रासीत हेम्ब्रम, वगैरह				
30	09	598P	रैयती	धानी-2	0.0620	चखा सोरेन पे0 बाबुराम सोरेन वगैरह				
31	09	597P	रैयती	धानी-2	0.0542	तथैव				
32	28	595P	रैयती	धानी-2	0.0690	वरसा मुर्मू पे0 चरण मुर्मू				
33	42	594P	रैयती	धानी-1	0.0015	हावीज मोमीन, पे0-लखु मोमीन				
<b>कुल रकवा-</b>					<b>1.9024</b>					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X ....., थाना सं0-..... X ....., अंचल-..... X ....., जिला-.....X.....  
 ..., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानि .....X..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-


पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

  
 उपायुक्त,  
 साहेबगंज।

ज्ञापांक ..... 312 ..... / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त, 29/5/17  
साहेबगंज।